Fourteenth Loksabha

Session : 4
Date : 23-03-2005

Participants : Suman Shri Ramji Lal

Title: Situation arising out of non-compliance of the orders of the Hon'ble Supreme Court regarding rehabilitation of people effected by Sardar Sarovar Dam Project.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरदार सरोवर योजना 30 बड़े और 135 मध्य आकार के बांधों की सबसे बड़ी परियोजना है। योजना आयोग ने इस परियोजना को 1988 में मंजूरी दी थी। जिस समय इस परियोजना को स्वीकृति मिली उस समय इसकी अनुमानित लागत 6406 करोड़ रुपए थी। मार्च 2000 तक इसकी अनुमानित लागत 40 हजार करोड़ रुपए है। 15 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च भी हो गए हैं। जब यह परियोजना शुरू हुई थी तो ट्रिब्यूनल के मुताबिक यह प्रावधान किया गया था कि इस योजना से प्रभावित जिन लोगों की 25 फीसदी लैंड जलाशय में चली जाएगी, उन परिवारों को खेती योग्य जमीन दी जाएगी और डूब से प्रभावित परिवारों का 6 महीने में पुनर्वास किया जाएगा। सबसे दुखद बात यह है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें न विकल्प के तौर पर जमीन मिली है और न ही प्रभावित लोगों का पुनर्वास हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 में एक फैसले में कहा था कि पुनर्वास एवं क्षति-पूर्ति पूरी होने की शर्त पर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है।

MR. SPEAKER: Please be brief.

श्री रामजीलाल सुमन : महाराट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के लगभग 33 हजार से 40 हजार परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। उनके पुनर्वास का आज तक कोई काम नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकारें अपनी सुविधानुसार नीतियां बना रही हैं। वहां पुनर्वास का काम नहीं हुआ है और लोगों को वैकल्पिक जमीन नहीं मिली है। वैबसाइट में यह दिखाने का प्रयास हो रहा है कि लोगों का पुनर्वास हो गया है। 15 मार्च 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन परिवारों का अहित हुआ है, उन्हें प्रति परिवार 5 एकड जमीन मिलनी चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Suman, this is the trouble.

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

राज्य सरकारें अपने धर्म को पूरा नहीं कर पा रही हैं । आप संसद की टीम वहां भिजवा दीजिए जिससे परिस्थिति की जानकारी हो सके और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके । मेरा आपसे यही निवेदन है। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

MR. SPEAKER: Dr. Ramkrishna Kusmaria, you have also signed this. Would you like to speak on that? This is not to be treated as a precedent. I am making an exception for you just because of your cooperation.